न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 01/2019 (RCMS No. 2019/00031)
अनवान् 1. सुनील कुमार पुत्र श्री साहबराम जाति कुम्हार निवासी 12 डीओएल बी, ढाणी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल किरायेदार चौधरी कॉलोनी, गंगाशहर रोड़, बीकानेर **2. वेदप्रकाश पुत्र श्री साहबराम** जाति कुम्हार निवासी 12 डीओएल बी, ढाणी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल किरायेदार चौधरी कॉलोनी, गंगा शहर रोड, बीकानेर
बनाम 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक **2. विद्यादेवी** पत्नि स्वर्गीय तुलसाराम जाति कुम्हार निवासी 12 डीओएल बी, ढाणी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीगण सुनील कुमार एवं देवप्रकाश को बार–बार आवाज लगाने पर उपस्थित नहीं आए।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि

अपीलार्थिया विद्या देवी ने अपने पुत्र त्रिलोका राम एवं साहबराम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 5 व धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 का प्रार्थना पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 08.01.2019 से निम्न आदेश पारित किया था:

> **उपरोक्त तथ्यों** को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 व 13 के तहत प्रार्थीया को उसके भरण पोषण व कल्याण के लिए अप्रार्थीगण त्रिलोकाराम जो उसका पति है एवं सुनील कुमार एवं वेदप्रकाश जो साहबराम के लड़के है, प्रार्थीया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पोते है जिन्होनें प्रार्थीया के पति की कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त किया है, को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थीया विद्यादेवी को प्रतिमाह लडका त्रिलोकाराम 2000/— रूपये तथा पोते सुनील कुमार एवं वेद प्रकाश 1000/— 1000/— रूपये प्रत्येक के द्वारा भुगतान प्रार्थीया विद्या देवी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा 2 केएलडी के खात संख्या 2624000100072776 में जमा करवाकर करेगें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, रावला व थाना अधिकारी रावला को भिजवाई जावे।

उक्त आदेश की अप्रसन्नता से विद्यादेवी के पोते सुनील कुमार एवं वेदप्रकाश पुत्रगण साहबराम ने यह अपील अन्तर्गत धारा 5 व धारा 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 2 के द्वारा उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है और ना ही अपीलाण्ट से कोई अनुतोष प्राप्त करने हेतु अंकित किया गया है। अपीलांट केवल मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पोते है और उनके पिता के द्वारा उनको किसी प्रकार की कोई कृषि भूमि से आय अर्जित नहीं होती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली का अवलोकन कि[illegible]या कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना के समक्ष रेस्प[illegible] उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्त[illegible] धारा 4 व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पेश किया गया था, जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना ने दोनों पक्षों को सुनकर उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडंट संख्या 1 त्रिलोका राम को प्रतिमाह 2000/— (दो हजार रूपये) तथा पोते सुनील कुमार एवं वेद प्रकाश को 1000/——1000/— रूपये प्रतिमाह प्रार्थीया विद्यादेवी के खाते में जमा का आदेश दिनांक 08.01.2019 को दिया गया। जिसकी अप्रसन्नता से सुनील कुमार एवं वेद प्रकाश ने इस न्यायालय में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.01.2019 के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में पेश की है।

इस मामले में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 16(1) के तहत संतान को या अन्य किसी व्यक्ति को माता–पिता/वरिष्ठ नागरिक के विरूद्ध अपील पेश करने की अधिकारिता है अथवा नहीं? धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> **धारा 16.अपील—(**1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण–पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:
>
> **परन्तु** यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान [illegible] कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपी[illegible] सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल क[illegible] निवारित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अपीलार्थीगण का पोतों की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर. एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्दकुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099.

This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार कोई भी न्यायालय/सरकार/अथोरिटी किसी भी प्रभावी कानून के विपरीत जाकर कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं कर सकती है। चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता– पिता द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है और न

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ही संतान या संबंधी के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है। इसलिए अपीलार्थीगण सुनील कुमार एवं वेदप्रकाश पुत्रगण साहबराम द्वारा पोतों के रूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना के आदेश दिनांक 08.01.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में धारा 16(1) मे तहत अपील पेश करने के लिए सक्षम नहीं है इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को इस न्यायालय को भी सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए उक्त अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण सुनील कुमार एवं वेदप्रकाश द्वारा पोतों के रूप में प्रस्तुत की गई यह अपील खारिज की जाती है और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना का आदेश दिनांक 08.01.2019 यथावत रखा जाता है। अपीलार्थीगण सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना के आदेश के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested